

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD



No. E(G) 2023 OR 1-4 (PSUs) Pt.

New Delhi, dated23 .10.2025

The General Managers/Director Generals, All Indian Railways/PUs/RDSO, Lucknow, MD/IRCON and MD/RVNL (As per Standard Mailing list)

Sub: Retention of Railway accommodation by Railway officers/staff on deputation to IRCON & RVNL - reg.

Attention is invited to Board's letter of even number dated 10.04.2024 whereby Railway officers/staff on deputation to Railway PSUs (KMRCL, RailTel, KRCL, IRCTC, IRCON, RVNL & MRVC) have been permitted to retain their Railway accommodation at previous place of posting up to 31.03.2025.

- 2. Now, on consideration of requests received from IRCON & RVNL and in exercise of the powers vested in it to make reasonable relaxations in public interest for a class/group of employees in all or any of the provisions regarding house allotment/retention, the Full Board have decided that retention of railway accommodation at previous place of posting by Railway officers/staff on deputation to IRCON & RVNL and in occupation of railway accommodation in areas other than Delhi/NCR may be permitted for a further period of 01 year beyond 31.03.2025 i.e. up to 31.03.2026 adhering to terms and conditions in vogue (as mentioned in Board's letter dated 10.04.24) and subject to the following conditions:-
- (i) Railway PSUs would provide leased accommodation to the officers of concerned Railways, for all houses retained by PSUs, as per officer's choice according to Railway priority list, at the rate of lease entitlement for corresponding grade of officers of PSUs. However, if leased accommodation is not being utilized by the Railways, as amount equivalent to leased accommodation or HRA of the officer retaining the accommodation, whichever is higher may be deposited with concerned Zonal Railways by PSUs.
- (ii) Further, IRCON and RVNL have to ensure that the amount equivalent to leased accommodation or HRA of the officers (along with arrears till date) retaining the accommodation, whichever is higher, is deposited with concerned Zonal Railway by them, if leased accommodation has not been provided to the concerned Zonal Railways by them.
- 3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

(M. P. Meena)

Dy. Director Estt.(Genl)III Railway Board

Contd....2/-

No. E(G) 2023 QR 1-4 (PSUs) Pt.

New Delhi, dated23 .10.2025

- 1. PFA, all Indian Railways and Production Units.
- 2. PED (Finance), RDSO, Lucknow.
- Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

For Member Finance/Railway Board

No. E(G) 2023 QR 1-4 (PSUs) P4-

New Delhi, dated 2.3 .10.2025

Copy to:

- 1. Director General, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
- 2. The Director Generals, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik, IRIMEE/Jamaplur, IRISET/ IRIFM/ Secunderabad, IRITM/Lucknow, IRIDM/Bangalore & JRRPF Academy /Lucknow.

(M. P. Meena) Dy. Director Estt.(Genl)III Railway Board

No. E(G) 2023 QR 1-4 (PSUs) Pt-

New Delhi, dated 23.10.2025

- 1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
- The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 3. The Secretary General, IRPOF, Rail Bhawan, New Delhi.
- All members of the National Council/Department Council and Secretary, Staff Side, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
- The Secretary General, FROA, Rail Bhawan, New Delhi.
- 6. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association.
- 7. The President, RBSS Group 'B' Officers' Association.
- 8. The President, Indian Railways Group 'B' Officers' Association.
- 9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
- 10 The Secretary, Railway Board Non-Ministerial Staff Association.
- 11. The Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi-

For Principal Executive Director(IR)

Copy to: Sr.PPSs/PSs/PSs/PAs to:-

MR, MoSR(S), MoSR(R), CRB&CEO, MF, M(Infra) M(TRS), M(O&BD), DG(HR), DG(Safety), DG(RHS), DG(RPF), Secretary/RB, All AMs/PEDs/EDs/JSs, IG/RPF(Hqs), Railway Board.

F(X)I, F(X)II, G(Acc.), LM(B), Sec.(E), Sec(ABE), E(NG)I, E(NG)II, E(Rep.)I, II, III, E(O)II, E(LR)I, II, III & LML-I, Branches of Railway Board.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई (जी) 2023क्यूआर1-4 (पीएसयूस) भाग

नई दिल्ली, दिनांक: 23.10.2025

महाप्रबंधक/महानिदेशक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां/अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन ,लखनऊ, प्रबंध निदेशक/इरकॉन एवं प्रबंध निदेशक/रेल विकास निगम लिमिटेड (मानक डाक सूची के अनुसार)।

विषय: इरकॉन और रेल विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर रेलवे अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा रेल आवास के प्रतिधारण के संबंध में।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 10.04.2024 के समसंख्यक पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केएमआरसीएल, रेलटेल, केआरसीएल, आईआरसीटीसी, इरकॉन, आरवीएनएल और एमआरवीसी) में प्रतिनियुक्ति पर रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को 31.03.2025 तक अपने पूर्व तैनाती स्थान पर रेल आवास के प्रतिधारण की अनुमति दी गई है।

- 2. अब, इरकॉन और रेल विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए तथा, कर्मचारियों के एक वर्ग/समूह के लिए जन हित में आवास आवंटन/प्रतिधारण से संबंधित सभी या किसी भी प्रावधान में उचित छूट देने हेतु, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ण बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इरकॉन और रेल विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें दिल्ली/एनसीआर के अलावा अन्य क्षेत्रों में रेल आवास आबंटित हैं उन रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को 31.03.2025 के बाद 01 वर्ष की अतिरिक्त अविध, अर्थात् 31.03.2026 तक के लिए प्रचलित नियमों और शर्तों (जैसा कि बोर्ड के दिनांक 10.04.24 के पत्र में उल्लिखित है) का पालन करते हुए और निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमित दी जाए:-
- (i) रेलवे के सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम, संबंधित रेलवे अधिकारियों को, सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रतिधारित सभी आवासों के लिए, रेलवे की प्राथमिकता सूची के अनुसार, अधिकारी की पसंद के अनुसार, सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंधित ग्रेड के अधिकारियों के लिए पट्टे की पात्रता दर पर, पट्टे पर आवास उपलब्ध कराएंगे। बहरहाल, यदि रेलवे द्वारा पट्टे पर दिए गए आवास का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो पट्टे पर दिए गए आवास के बराबर राशि या आवास रखने वाले अधिकारी के मकान किराया भत्ते (एचआरए) में से जो भी अधिक हो, उसे सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेल में जमा कराया जाए।
- (ii) इसके अलावा, इरकॉन और आरवीएनएल को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि उनके द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेल को पट्टे पर आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है तो पट्टे पर आवास या आवास प्रतिधारण करने वाले अधिकारियों का मकान किराया भत्ते (आज तक के बकाया सिहत) के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, संबंधित क्षेत्रीय रेल में जमा करायी जाए।
- 3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है।
- 4. कृपया पावती दें।

20-

(एम.पी. मीना) उपनिदेशक स्थापना (सामान्य)॥ रेलवे बोर्ड जारी....२/-

नई दिल्ली, दिनांक: 23.10.2025

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

2. प्रधान कार्यपालक निदेशक (वित्त), अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ।

3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

सं. ई (जी) 2023क्युआर1-4 (पीएसयुस) भाग

नई दिल्ली, दिनांक: 23.10.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।

2. महानिदेशक, इरिसेन/पूणे, इरीन/नासिक, इरिमी/जमालपुर, इरीसेट/आईआरआईएफएम/ सिकंदराबाद, इरिटएम/लखनऊ, इरीडीएम/बेंगलरु और जेआरआरपीएफ अकादमी/लखनऊ।

> (एम.पी. मीना) उपनिदेशक स्थापना (सामान्य)॥। रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक: 23.10.2025

सं. ई (जी) 2023क्युआर1-4 (पीएसयुस) भाग

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।

2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफौर्ड रोड, नई दिल्ली। 3. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, रेल भवन, नई दिल्ली। 4. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरीजशाह रोड, नई दिल्ली। 5. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, रेल भवन, नई दिल्ली।

6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. अध्यक्ष, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवेज़ ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरीयल स्टाफ एसोसिएशन।

10. सचिव, रेलवे बोर्ड नॉन-मिनिस्टीरीयल स्टाफ एसोसिएशन।

11. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम),13-सी,फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली- 110001.

066

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध) प्रतिलिपि: वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/निजी सहायक:-

रेल मंत्री, रेल राज्यमंत्री (एस), रेल राज्यमंत्री (आर), अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य वित्त, सदस्य (अवसंरचना), सदस्य (कर्षण एवं चल स्टॉक), सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), महानिदेशक (मानव संसाधन), महानिदेशक (संरक्षा), महनिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवाएं), महानिदेशक (रेल सुरक्षा बल), सचिव/रेलवे बोर्ड, सभी अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक / संयुक्त सचिव, महानिरीक्षक / रेल सुरक्षा बल (मुख्यालय), रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की एफ (एक्स) 1, एफ (एक्स) 11, सामान्य (आवास), एलएम (बी), सिक. (ई), सिक. (एबीई), ξ (एनजी) I, ξ (एनजी) II, ξ (रिप.) I, II, III, ξ (ओ) II, ξ (एलआर) I, II, III और एलएमएल-I शाखाएं।